# कोरोना के बहाने

## सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली पर गहराता संकट

राम सिंह हापावत

भारत में सावर्जनिक शिक्षा प्रणाली पहले से ही दम तोड़ती अवस्था में है। इसकी शुरुआत आर्थिक उदारीकरण के दौर के शुरू होने के साथ ही हो गयी थी जब विश्व बैंक ने इन शर्तों पर कर्ज दिया कि राज्य लोक कल्याण (पब्लिक वेल्फेयर) के उपक्रमों में कम निवेश करेगा और शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य पैरा-टीचर इत्यादि की व्यवस्था करके भी हासिल किया जा सकता है। तत्कालीन सरकारों ने नब्बे के दशक में शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए, जिनमें कि दो-तिहाई से अधिक लड़कियां थीं कि प्राथमिक शिक्षा के लिए नियमित औपचारिक विद्यालयों के प्रावधान को कम गुणवत्ता व अल्प बजट व अल्प संसाधनों वाले समानान्तर व सस्ते विकल्पों से बदल दिया। ये नीतिगत बदलाव अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष- विश्व बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए संरचनात्मक बदलाव कार्यक्रम के तहत किये गये, जिसके तहत अतिरिक्त लोन व वित्तीय मदद की शर्त थी- शिक्षा, स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण की अन्य योजनाओं में किए जाने वाले खर्च में व्यापक कटौती। परिणाम स्वरूप भारत में गरीब व वंचित वर्गों के बच्चों की शिक्षा के लिए 1990 के दशक के दौरान विश्व बैंक प्रायोजित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) के तहत वैकल्पिक स्कूल, शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस) केंद्र और मल्टी-ग्रेड टीचिंग (तथाकथित नवाचार के नारे के तहत) तथा पैरा-टीचर इत्यादि समानांतर, सस्ते एवं कम गुणवत्ता वाले विकल्प डिजाइन किए गए[1]। अभी भी लगभग तीन दशकों के बाद भारत में सरकारी विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था कोई खास अच्छी स्थिति में नहीं हैं, विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं और जो हैं वे शिक्षक पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं, विद्यालयों में बुनियादी ढांचा नहीं है, तथा निगरानी और जवाबदेह तंत्र नहीं है। यानि कुल मिलाकर वहां जीवन बदलने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, और इसे मजबूत करने की सरकार की कोई नीतिगत मंशा भी नहीं लगती है। कोरोना महामारी ने राज्य को सार्वजनिक शिक्षा में कम निवेश हेतु दुर्भाग्य से एक और सुलभ अवसर प्रदान कर दिया है। भारत में विद्यालयों को कोरोना महामारी के चलते बंद किए हुए लगभग 9 महीने (दिसम्बर, 2020 तक) हो चुके हैं और यदि इसमें से ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि निकाल दी जाए तो सभी बच्चे विद्यालय आधारित शिक्षण से पिछले लगभग 7.5 महीने से वंचित हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 'स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग' के दिशा निर्देशों के अनुसार **'आउट ऑफ स्कूल'** की परिभाषा[2] देखें तो भारत में विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने वाले लगभग 33 लाख[3] बच्चे अभी आउट ऑफ स्कूल की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। ये सभी बच्चे शिक्षा के अधिकार से भी वंचित हैं, जबकि इस अधिकार को निशुल्क प्रदान करने का दायित्व राज्य का है।

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न इस परिस्थिति में राज्य अब ऑनलाइन शिक्षा, शिक्षा के डिजिटल माध्यमों या दूरस्थ शिक्षा को एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है जो तुलनात्मक रूप से उसके लिये एक सस्ता समाधान भी है, फलस्वरूप इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा

नीति 2020[4] में भी यह बात परिलक्षित होती है, जो कि शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष जोर देती है। विभिन्न राज्य सरकारें ऑनलाइन शिक्षा, शिक्षा के डिजिटल माध्यमों या दूरस्थ शिक्षा के माध्यमों द्वारा लॉकडाउन की अवधि में भी बच्चों तक पहुंचने का दावा कर रही हैं। जबकि यदि हम ऑनलाइन, डिजिटल व दूरस्थ माध्यमों तक जन साधारण की पहुंच की बात करें तो आंकड़े इसके एकदम विपरीत कहानी कहते हैं। इस विसंगति को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य देखे जा सकते हैं -

- नीति आयोग के एक सर्वे (2017-18) के अनुसार, मात्र 14.9 प्रतिशत ग्रामीण और 42 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। और मात्र 4.4 प्रतिशत ग्रामीण और 32.4 प्रतिशत शहरी परिवारों की पहुंच कम्प्यूटर तक है, देश में लगभग 55000 गांव ऐसे हैं जो मोबाइल नेटवर्क से बाहर हैं[5]।
- एक दूसरा सर्वे जो कि क्राय (चाइल्ड राइट्स अंड यू)[6] नामक संस्था ने चार दक्षिणी राज्यों (कर्नाटक, तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश व तेलंगाना) में 5987 बच्चों के साथ किया, उसके अनुसार अनुसार 94 प्रतिशत बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए स्मार्ट फोन व इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। यह सुविधा जिन बच्चों की पहुंच में है उनमें से 55 प्रतिशत केवल सप्ताह में तीन दिन और 77 प्रतिशत के लिए यह सुविधा दिन में मात्र दो घंटे के लिए है।
- केरल जैसे शिक्षा के मामले में अग्रणी राज्य में लगभग 2.5 लाख बच्चों की न तो टीवी और न ही इंटरनेट तक पहुंच है।
- झारखंड में दुमका जिले की बनकाठी उच्च प्राथमिक शाला के 246 बच्चों में से 204 की डिजिटल उपकरणों तक पहुंच नहीं है।
- भारत में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या करीब 33 करोड़ हैं, इनमें से सिर्फ 10.3 प्रतिशत के पास ही ऑनलाइन पढ़ने की व्यवस्था है[7]।

जिन परिवारों में मोबाइल फोन उपलब्ध भी है तो जरूरी नहीं है कि उसमें इंटरनेट की सुविधा भी हो व बच्चों की इन उपकरणों तक पहुंच भी हो। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग सभी बच्चों की कमोबेश यही स्थिति है। यह स्थिति शिक्षा में पहले से विद्यमान असमानता की खाई को और ज्यादा बढ़ाएगी।

असमानता कोई प्राकृतिक देन नहीं है बल्कि राज्य की नीतियां, संसाधन व अवसरों की अनुपलब्धता व असमान वितरण ही इसे जन्म देती है। शिक्षा में व्याप्त असमानता बच्चों को गहरे तक प्रभावित करती हैं और यह सामाजिक व आर्थिक असमानता को और ज्यादा धारदार बना देती है। शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधनों की अनुपलब्धता व उन तक पहुंच न हो पाने की विवशता बच्चों को गहरी निराशा व कुंठा से भर देती है, या तो वे पलायन कर जाते हैं, या परिस्थिती से समझौता कर लेते हैं या फिर इस हद तक पहुंच जाते हैं कि अपना जीवन तक समाप्त कर लेते हैं। इसके कुछ उदाहरण और निहितार्थ देखिये। हावड़ा के राजचन्द्रपुर में एक 16 वर्षीय किशोरी, शिबानी कुमारी साहू ने ऑनलाइन क्लासेस प्राप्त न कर पाने की वजह से आत्महत्या कर ली[8]। इस बालिका के पास मोबाइल, कम्प्यूटर इत्यादि नहीं थे और उसे डर था कि ऑनलाइन कक्षाएं प्राप्त न कर पाने की वजह से वह फेल हो जाएगी। इसी तरह केरल के मल्लपुरम में एक दसवीं कक्षा की बालिका ने खुद को आग लगा कर आत्महत्या कर ली[9]। पिछड़े व दलित वर्गों से संबंधित इन बालिकाओं के घर न तो टीवी था, न ही स्मार्ट फोन व इंटरनेट की सुविधा और इनके माता-पिता दिहाड़ी मजदूर थे।

विडम्बना यह है कि 'बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ' का नारा लगाने वाले इस देश में शिक्षा के लिए डिजिटल उपकरणों तक पहुंच न होने के चलते आत्महत्या वाले उक्त दोनों उदाहरण बालिकाओं के हैं, तथा दोनों ही बालिकाएं पिछड़े व दलित वर्ग से आती हैं। उक्त दोनों उदाहरण समाज में व्याप्त सामाजिक, लैंगिक एवं आर्थिक असमानता को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं। भारत में जहां शिक्षा में लैंगिक भेद पहले से ही (14.5 प्रतिशत)[10] है यह खबर काफी निराशाजनक है, आशंका है कि आने वाले दिनों में विद्यालयों से 15 से 20 प्रतिशत बच्चे ड्रॉप आउट हो सकते हैं। इनमें बालिकाओं की संख्या ज्यादा होगी, अतः शिक्षा में लैंगिक भेद भी और बढ़ेगा।

उक्त सभी समस्याओं से आंखें मूंदे सभी राज्य सरकारें व संबंधित शिक्षा विभाग ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा के कामों में जोर-शोर से लगी हैं। ऑनलाइन माध्यमों से अभिभावकों के वाट्सएप ग्रुप बना कर शिक्षा विभाग जो शिक्षण सामग्री सरकारी विद्यालयों के बच्चों हेतु परोस रहे हैं उसकी उपयुक्तता व गुणवत्ता का सवाल भी है। यह सामग्री अव्यवस्थित है, और इधर-उधर से जो कुछ भी मिल गया उसे एकत्र कर भेजा जा रहा है, जो कि न तो व्यवस्थित है और न ही बालकों के शैक्षिक स्तरों व उनकी अकादमिक जरूरतों के अनुरूप।

इसके अतिरिक्त शैक्षिक सामग्री को मात्र अभिभावकों को प्रेषित (फारवर्ड) कर देने मात्र से शिक्षा हो गयी ऐसा नहीं माना जा सकता, बच्चों को अकादमिक मदद व मार्गदर्शन की जरूरत होती है, बच्चों ने जो कार्य किया है उस पर उन्हें व्यक्तिगत फीडबैक की आवश्यकता होती है जो इन सभी प्रयासों में पूरी तरह से नदारद है। उक्त बातों के अलावा सरकार से इस अवसर पर जो एक और सवाल पूछा जाना चाहिए वह यह है कि यदि आरटीई, 2009 के तहत 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है तो क्या बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की तरह निःशुल्क डिजिटल उपकरण व इंटरनेट की सुविधा भी राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जानी चाहिए। यदि राज्य यह दायित्व नहीं निभाता है तो यह आरटीई, 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा।

ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा माध्यमों तक पहुंच व विषय वस्तु की उपयुक्तता के अलावा ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित कुछ अन्य दिक्कतें भी हैं। जे.के.लोन हॉस्पिटल, जयपुर के डॉ. अशोक के नेतृत्व में चिकित्सकों के एक दल द्वारा 20 शहरों में किए गए एक सर्वे[11] के अनुसार वर्चुअल शिक्षा से बच्चों की याददाश्त कमजोर होती है और बच्चे तथ्यों और सूचनाओं को अधिक समय तक याद नहीं रख पाते। इसी सर्वे में 52 प्रतिशत माता-पिता ने ऑनलाइन शिक्षा को अप्रभावी और बेकार बताया और पाया गया कि 19 प्रतिशत बच्चों का सीखने का स्तर नीचे गिर गया। इसके साथ ही ऑनलाइन शिक्षा के कुछ अन्य दुष्प्रभाव भी हैं जैसे- बच्चों में एकाग्रता की कमी, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, आंखों की बढ़ती कमजोरी इत्यादि।

विद्यालयी शिक्षा में तकनीक की घुसपैठ अब कोई नई बात नहीं रह गई है। विभिन्न राज्य सरकारें अपनी नीतियों में 'स्मार्ट क्लासरूम' स्थापित करने व 'डिजिटल पाठ्यसामग्री' बनाने इत्यादि की घोषणाएं कर रही हैं। जाहिर है कोरोना ने इस हेतु एक अवसर प्रदान किया है और अब यह प्रक्रिया और तेजी से बढ़ेगी। कक्षागत शिक्षण में आईसीटी[12] के इस्तेमाल को अक्सर गुणवत्ता का पर्याय मान लिया जाता है, और आईसीटी आधारित गुणवत्ता शिक्षा के नारों को बड़े जोर-शोर से उछाला जाता है। अभी लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षा, शिक्षा के डिजिटल माध्यमों व दूरस्थ शिक्षा को लेकर जो थोड़ा बहुत विरोध हो रहा है वह मात्र इस बात का हो रहा है कि सभी बच्चों की इन माध्यमों तक पहुंच नहीं है, इससे सामाजिक विषमता और बढ़ेगी और बच्चों की स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी अन्य दिक्कतें। ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता और इससे जुड़ी अन्य चीजों पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। प्रारम्भिक शिक्षा में तकनीक के उपयोग से संबंधित कुछ शिक्षा शास्त्रीय समस्याएं भी हैं जो न तो किसी के संज्ञान में हैं और न ही इस पर कोई खास चर्चा हो रही है।

प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीएनआर राव, ऑनलाइन शिक्षा को ज्ञान मीमांसा और सीखने के सिद्धांतों पर हमला करार देते हैं, उनका कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल व्यवस्था व दूरस्थ शिक्षा माध्यम बच्चों के मनो-मस्तिष्क को प्रभावित करने में सक्षम नहीं हैं, उनका मानना है कि बच्चों के सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं में एक प्रत्यक्ष मानवीय हस्तक्षेप और परस्पर संवाद का होना जरूरी है[13]।

बच्चों का निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 शिक्षण विधियों के बारे में अनुशंसा करता है कि प्रारम्भिक कक्षाओं में सीखना-सिखाना एक बालकेन्द्रित एवं बालमित्र वातावरण में गतिविधि आधारित, खोजबीन और जांच-पड़ताल इत्यादि शिक्षण विधियों के माध्यम से होना चाहिये[14]।

शिक्षाविद् खासकर प्रारम्भिक कक्षाओं में बच्चों के लिए अनुभव आधारित (एक्सपिरीएन्शियल लर्निंग) शिक्षण की बात करते हैं जिसमें बच्चों को खोजबीन करने, जांच-पड़ताल करने व अपनी पांचों ज्ञानेन्द्रियों को काम में लेने, विश्लेषण करने व अपना मत रखने का मौका मिले, अर्थात बच्चों को ज्ञान निर्माण की प्रक्रियाओं से गुजरने के मौके मिलें।

ये शिक्षण विधियां बालक को आगे चल कर सीखने में आत्मनिर्भर होने में मदद करती हैं। साथ ही शिक्षा केवल अकादमिक कौशल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं व मूल्यों का विकास भी शिक्षा के जरिये ही संभव है जो कि शिक्षक - बालक एवं बालक - बालक के मध्य प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया के अभाव में मुश्किल है। वर्तमान ऑनलाइन शिक्षा, शिक्षा के डिजिटल माध्यम व दुरस्थ शिक्षा प्रयासों में उक्त सभी पक्षों का अभाव तो है ही, साथ ही ये प्रणालियां बच्चों को मात्र एक निष्क्रिय संग्रहकर्ता (passive receptor) के तौर पर ही देखती हैं।

एनसीएफ, 2005[15] शिक्षा में तकनीक के उपयोग के प्रति सतर्क रहने व इसके विवेकपूर्ण इस्तेमाल की बात करता है। शिक्षक व बच्चों को तकनीक के उपभोक्ता की भांति नहीं देखना चाहिए और यदि ऐसा होता है तो तकनीक के अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है। एनसीएफ, 2005 के अनुसार परस्पर अन्तरक्रिया, अंतरंगता व आत्मीयता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मुख्य आधार स्तम्भ हैं।

ऐसा नहीं है कि शिक्षा में तकनीक का उपयोग नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कब, किस स्तर पर व कितना किया जाना चाहिए इन प्रश्नों के उत्तर हमें ढूंढ़ने चाहिये। शिक्षा में तकनीक का इस्तेमाल शैक्षिक प्रबंधन, शिक्षण योजना बनाने, मूल्यांकन व बच्चों की प्रगति का विवरण इत्यादि रखने में किया जा सकता है। लेकिन छोटे बच्चों, खासकर प्रारम्भिक कक्षाओं में तो शिक्षण परस्पर संवाद व अन्तरक्रिया व अनुभव आधारित शिक्षण पद्दतियों के जरिये ही होना चाहिए। तकनीक का उपयोग बच्चों को कक्षा-कक्ष में उन अनुभवों को प्रदान करने में भी किया जा सकता है जो बच्चे के आस-पास के वातावरण (इमिडीएट सराउंडिंग) में उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही शिक्षकों के क्षमतावर्धन, उपयुक्त विषय वस्तु व संदर्भ सामग्री तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए भी तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है, ताकि शिक्षक बेहतर शिक्षण योजना बना पाएं।

लेकिन केंद्र व विभिन्न राज्य सरकारें अभी इन सब चिंताओं के प्रति आंखे मूंदे हुए हैं। अभी हाल ही में मानव संसाधन मंत्री ने लॉकडाउन के दौरान जून में आयोजित एक ऑनलाइन सत्र में पहले तो जमकर अपनी सरकार का गुणगान किया, पिछली सरकारों और उस समय के मंत्रियों व नौकरशाहों को जम कर कोसा, उन्हें अयोग्य होने का तमगा प्रदान किया और फिर कहा कि पहली बार योग्य और पेशेवर व्यक्ति जिम्मेदार पदों पर हैं जो कि शिक्षा कि गहरी समझ रखते हैं और बस अब सार्वजनिक शिक्षा का कायाकल्प होने ही वाला है। जाहिर है शिक्षा में व्याप्त समस्याओं और शिक्षा के कायाकल्प का उनका अपना ही कोई विजन रहा होगा, और इस विजन का संकेत उनके निम्न कथनों में टटोला जा सकता है। उन्होंने पौराणिक काल के गुरुकुलों को स्मरण किया और कहा कि 'हम तो पहले ही कहते थे कि शिक्षा की जिम्मेदारी समाज को स्वयं लेनी चाहिए'। और इस हेतु उन्होंने बड़ा मजेदार तर्क पेश किया, उन्होंने कहा कि मान लो यदि सरकार सबको घर-घर नमक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले तो क्या इतने विशाल देश में यह सब कर पाना सरकार के लिए संभव है? गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था और नमक का उदाहरण वास्तव में इस बात के संकेत थे कि राज्य शनैः शनैः अपनी जिम्मेदारी से हटता जाएगा और समाज को अपने बच्चों हेतु शिक्षा की व्यवस्था खुद ही करनी होगी। ऐसा नहीं है कि यह सब सिर्फ इस सरकार के कार्यकाल में ही हो रहा है इसकी पूर्ववर्ती सरकारों के समय भी एसा ही कुछ हुआ है। एक और मजेदार बात मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने कही कि हम तो पहले ही कहते थे कि 'दूरस्थ और डिजिटल माध्यमों से शिक्षा ही उचित समाधान है'। मानव संसाधन मंत्री द्वारा कही गई इन सब बातों के गहरे निहितार्थ हैं; एक- आगे आने वाले दिनों में सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से पीछे हटने के सरकार के उपक्रम और तीव्र होंगे और इसमें निवेश भी, दो- ऑनलाइन शिक्षा व दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था से

चिर-परिचित शिक्षा में 'पहुंच' का सवाल हल कर लिया जाएगा। लिहाजा ऑनलाइन शिक्षा और शिक्षा तकनीक का व्यवसाय करने वाली कंपनियों व व्यापारियों की बांछे खिली हुई हैं और वे अचानक से शिक्षाविद् बन बैठे हैं। और इन ऑनलाइन शिक्षा व डिजिटल उपकरणों का व्यवसाय करने वाली कंपनियों व व्यापारियों से प्राप्त अनुदानों पर जिंदा रहने वाली स्वयंसेवी संस्थाएं ऑनलाइन डिजिटल उपकरणों से शिक्षा की प्रभाविकता और पहुंच के बारे में विरुदावलियां पढ़ने में व्यस्त हैं और 'यही श्रेष्ठ है' का राग आलाप रही हैं और जो नहीं हो सकता उसके लिए प्रमाण पेश कर रही हैं। क्या हम सार्वजनिक शिक्षा की दुर्दशा व इसके निरंतर खत्म होते जाने को चुपचाप मूकदर्शक बने देखते रहेंगे? ◆

**लेखक परिचय :** लगभग 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में हैं और वर्तमान में सेव द चिल्ड्रन संस्था में कार्य कर रहे हैं।

**संपर्क :** 9958703999; ram_siddarth8@rediffmail.com

## संदर्भ

1. https://educationforallinindia.com/anilsadgopalnew.htm Frontline Volume 20, Issue 24, 2003
2. डी.ओ.एन. 12-2/2012 ईई 11 (6-14 आयु वर्ग का कोई बालक यदि 45 दिन या उससे अधिक दिनों से विद्यालय से अनुपस्थित हो तो वह ड्रॉप आउट या आउट ऑफ स्कूल माना जाएगा।)
3. एक अनुमान, दैनिक भास्कर
4. नई शिक्षा नीति, 2020, 23.5, पेज न.57
5. नीति आयोग रिपोर्ट 2017-18
6. द इंडियन एक्सप्रेस, 17 अगस्त, 2020
7. दैनिक भास्कर
8. टाइम्स ऑफ इंडिया, 20 जून, 2020
9. एनडीटीवी.काम/इंडिया-न्यूज, 02, जून, 2020
10. भारत में शिक्षा पर पारिवारिक सामाजिक उपभोग, एनएसए, रिपोर्ट 2017-18
11. दैनिक भास्कर, 22 जून, 2020
12. इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नालजी
13. हिंदुस्तान टाइम्स, जून 2, 2020
14. शिक्षा का अधिकार कानून, 2009, चैप्टर वी (2) इ,
15. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, 5.5.3, पेज न. 121